Urgent Notice

eCommittee, Hon'ble Supreme Court of India, has launched the **eCourts Services Mobile App (Version 4.0)** during the National Conference on Judicial Process Re-engineering and Digital Transformation held in April 2026 and is **scheduled for rollout shortly.**

Thus, as directed, all users(Advocates, Litigants, and court staff) are mandatory required to take a backup of their saved case data by utilizing the "**Export**" feature available in the current version of the **Ecourt Services Mobile Application** within the extended timeline **i.e. 13-05-2026.**

It may be noted that **failure to take backup may result in permanent loss of saved case data**, particularly in the event of any technical issues during the upgradation process.

अति आवश्यक सूचना

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति ने अप्रैल 2026 में आयोजित 'न्यायिक प्रक्रिया पुनर्रचना और डिजिटल परिवर्तन' पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 'ई-कोर्ट्स सर्विसेज़ मोबाइल ऐप' (संस्करण 4.0) लॉन्च किया है, जिसे शीघ्र ही जारी किया जाना निर्धारित है।

अतः, निर्देशानुसार, सभी उपयोगकर्ताओं (अधिवक्ता, वादी और न्यायालय कर्मचारी) के लिए यह अनिवार्य है कि वे ई-कोर्ट सर्विसेज़ मोबाइल एप्लिकेशन के वर्तमान संस्करण में उपलब्ध "Export" (निर्यात) सुविधा का उपयोग करके अपने सहेजे गए केस डेटा का बैकअप ले लें; इसके लिए विस्तारित समय सीमा 13-05-2026 निर्धारित है।

कृपया ध्यान दें कि बैकअप न लेने की स्थिति में, विशेष रूप से अपग्रेडेशन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या के उत्पन्न होने पर, सहेजा गया केस डेटा स्थायी रूप से नष्ट हो सकता है।